

कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश

17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग लखनऊ

पत्र संख्या- 130 /सी/क्रय-सुरक्षण/2018-19/लखनऊ दिनांक नवम्बर 16 ,2018

आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि., इकाई-पिपराइच, जनपद गोरखपुर, परिक्षेत्र गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत मांग पर पेराई सत्र 2018-19 हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 4063/सी/क्रय/ग.आ./2018-19 दिनांक 28-09-2018 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्यक परीक्षणोपरान्त, विज्ञप्ति संख्या 4097/सी/क्रय/ ग.आ./2018-19 दिनांक 09-10-2018 द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-12 (2) के अन्तर्गत गन्ने की आवश्यकता का अनुमान 10.00 ला.कृ. विज्ञापित किया गया है।

कृषकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने एवं गन्ने की अधिक से अधिक खपत चीनी उत्पादन में करने हेतु यह अनिवार्य है कि चीनी मिलें अपने आवंटित क्षेत्र से अधिकतम गन्ने की खरीद/पेराई करें एवं ऐसी प्रबन्धकीय व तकनीकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें जिससे गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता में पर्याप्त सामंजस्य बना रहे।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-15 के प्राविधानों के अनुपालन में दिनांक 22-09-2018 को गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ में परिक्षेत्र गोरखपुर की सहकारी गन्ना विकास समितियों, गन्ना कृषकों एवं चीनी मिलों के पक्ष की पेराई सत्र 2018-19 में गन्ना क्षेत्र आवंटन व गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में सुनवाई की गयी।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि., इकाई-पिपराइच, जनपद गोरखपुर, परिक्षेत्र गोरखपुर की स्थापना की जा रही है तथा चीनी मिल का निर्माण कार्य पेराई सत्र 2018-19 के अन्तर्गत पूर्ण होना प्रस्तावित है। चीनी मिल का निर्माण कार्य पूर्ण होने की स्थिति में इसके ट्रायल एवं विधिवत पेराई कार्य किये जाने हेतु मिल को गन्ने की आवश्यकता होगी। जिसकी पूर्ति हेतु इस चीनी मिल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, क्रय केन्द्र से चीनी मिल की दूरी, गन्ना यातायात की सुविधा, चीनी मिल द्वारा किये गये विकास कार्य, चीनी मिल को ट्रायल हेतु गन्ने की आवश्यकता के दृष्टिगत क्षेत्र आरक्षण पर चीनी मिल द्वारा की गयी मांग आदि कारकों पर विचार किया गया। चीनी मिल क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता एवं चीनी मिल के प्रस्तावित प्रथम पेराई सत्र के दृष्टिगत यह भी विचार किया गया कि इस चीनी मिल के विधिवत पेराई कार्य शुरू करने के पूर्व क्षेत्र में उपलब्ध गन्ने का अन्य निकटवर्ती चीनी मिलों को आवंटन कर गन्ना आपूर्ति की निरन्तरता बनाये रखी जाय। बन्द चीनी मिल सरदारनगर के क्रय केन्द्र

बेला को कॉम्पैक्ट एरिया बनाये जाने एवं मिल बन्द होने के दृष्टिगत नवस्थापित चीनी मिल पिपराइच के पक्ष में सुरक्षित तथा क्रय केन्द्र सरदारनगर मिलगेट को अभ्यर्पित किया जा सकता है।

इस चीनी मिल से सम्बन्धित **जनपद गोरखपुर** में गन्ने की औसत उपज **650.52 क्विन्टल प्रति हेक्टेयर** है, जो कि पेराई सत्र 2017-18 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराये गये क्रॉप कटिंग के परिणामों पर आधारित है तथा सभी सम्बन्धित को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1845/सी/क्रय/औसत उपज/सुरक्षण/2018-19 दिनांक 06-06-2018 द्वारा संसूचित की गयी है। जिसके आधार पर इस चीनी मिल को **14.57 ला.कृ.** गन्ने का आवंटन किया जा सकता है जिसकी प्रतिपूर्ति **2239 हेक्टेयर** गन्ना क्षेत्रफल से होना सम्भावित है।

उक्त चीनी मिल एवं सम्बन्धित चीनी मिलों, गन्ना विकास समितियों/गन्ना कृषकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं उनका पक्ष सुनकर, चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन/उपलब्धता एवं अन्य सुसंगत बिन्दुओं के दृष्टिगत मैं, **संजय आर. भूसरेड्डी, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश**, उ.प्र. गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-15, उ.प्र. गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम-22 एवं शुगरकेन (कन्ट्रोल) आर्डर, 1966 के उपबन्ध-6 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए खण्ड-2 में अंकित क्रय केन्द्रों को पेराई सत्र 2018-19 हेतु उनके नाम के सम्मुख अंकित चीनी मिलों को आवंटित करता हूँ। इसी के साथ यह भी आदेशित करता हूँ कि **उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि., इकाई-पिपराइच, जनपद गोरखपुर, परिक्षेत्र गोरखपुर** के द्वारा विधिवत पेराई कार्य शुरू किये जाने के उपरान्त खण्ड-2 में अंकित सभी क्रय केन्द्र पिपराइच चीनी मिल को आवंटित माने जायेंगे तथा इसी के द्वारा संचालित होंगे। इन पर सम्बन्धित मिलों का आवंटन स्वतः समाप्त समझा जायेगा। पिपराइच चीनी मिल के संचालन के उपरान्त क्रम संख्या 01 से 09 तक उल्लिखित वाह्य क्रय केन्द्र, उसके मिलगेट में संविलीन हो जायेंगे। तत्क्रम में सभी आवंटी चीनी मिलों के अध्यासियों को आदेशित करता हूँ कि गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद आदेश, 1954 के उपबन्ध-3 (3) एवं 4 (1) में निर्धारित **प्रारूप-स** पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से करें तथा चीनी मिल चलने के साथ ही समस्त क्रय केन्द्रों का संचालन एवं समानुपातिक गन्ना खरीद सुनिश्चित करें।

उक्त चीनी मिल के अध्यासी को उ.प्र. गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-15 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देशित करता हूँ कि गन्ना पेराई सत्र समापन के लिए अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियों, जिला गन्ना अधिकारियों तथा क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त से प्राप्त कर, इस कार्यालय की पूर्वानुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही पेराई सत्र का समापन करें।

उपर्युक्त आदेश पेराई सत्र 2018-19 के लिए जारी किये जा रहे हैं एवं यह तब तक प्रभावी रहेंगे, जब तक इस सम्बन्ध में नये आदेश या संशोधन प्रसारित न किये जायें।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश

सामान्य निर्देश

01. इस वर्ष जिन नये क्रय केन्द्रों की स्थापना के आदेश दिये जा रहे हैं, उन क्रय केन्द्रों के स्थान का चयन उसी राजस्व ग्राम में सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी द्वारा गन्ना किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, चीनी मिल एवं गन्ना समितियों की राय से किया जायेगा। जिला गन्ना अधिकारी क्रय केन्द्रों से सम्बद्ध होने वाले ग्रामों की सूची बनाकर सर्वसम्बन्धित को सूचित करेंगे तथा उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित कराया जाये कि एक कृषक के गन्ने की आपूर्ति एक क्रय केन्द्र पर अथवा केन्द्र के एक ही भाग पर सुनिश्चित हो तथा किसी भी कृषक को एक से अधिक क्रय केन्द्र/केन्द्र के भाग पर आपूर्ति की सुविधा न दी जाये।
02. चीनी मिलों एवं गन्ना समितियों तथा किसानों की ओर से कुछ क्रय केन्द्रों के स्थान परिवर्तन करके उसी राजस्व ग्राम में दूसरे स्थान पर लगाने तथा कुछ क्रय केन्द्रों के ग्रामों को उसी चीनी मिल के एक क्रय केन्द्र से हटाकर दूसरे क्रय केन्द्रों पर सम्बद्ध किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। ऐसे प्राप्त प्रस्तावों पर जिला गन्ना अधिकारी द्वारा सम्बन्धित चीनी मिल एवं गन्ना समिति से आख्या प्राप्त कर उचित निर्णय लिया जायेगा।
03. क्रय केन्द्रों की स्थापना यथा सम्भव उसी राजस्व ग्राम में की जायेगी जिस नाम से वह स्वीकृत किया गया है। सामान्यतः पूर्व वर्षों के स्थापित क्रय केन्द्रों के स्थान में परिवर्तन न किया जाये। भौगोलिक कठिनाई, यातायात में असुविधा या विवाद आदि औचित्यपूर्ण एवं अपरिहार्य स्थिति में यदि स्थान परिवर्तन करना अत्यावश्यक हो तो सम्बन्धित जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जिला गन्ना अधिकारी उसी राजस्व ग्राम के अन्य स्थल का चयन कर क्रय केन्द्र स्थापित करायेंगे।
04. यदि **पेराई सत्र 2018-19** में चीनी मिल द्वारा संतोषजनक मात्रा में पेराई न कर पाने के कारण या चीनी मिल बन्द हो जाने के कारण गन्ने का व्यावर्तन किया जाना अपरिहार्य प्रतीत होता है, तो व्यावर्तित गन्ने का ढुलाई व्यय उसी चीनी मिल को देना होगा, जिसे क्रय केन्द्र मूलरूप में आवंटित हुआ था।
05. गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के **14 दिन** के अन्दर सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद आदेश, 1954 के उपबन्ध-3 (3) एवं 4 (1) में निर्धारित **प्रारूप-स** पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से किया जायेगा। जो चीनी मिलें निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करेंगी उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
06. चीनी मिलें उ.प्र. गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-17 एवं 18 तथा शुगरकेन (कन्ट्रोल) आर्डर, 1966 के खण्ड-3 (3) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में गन्ना मूल्य व विकास कमीशन का भुगतान सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में चीनी मिलों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(संजय आर. भूसरेड्डी)

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश

कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश

17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग लखनऊ

पत्र संख्या- 130 /सी/क्रय-सुरक्षण/2018-19/लखनऊ दिनांक नवम्बर 16 ,2018

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
02. सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को इस आशय से प्रेषित कि वह उ.प्र. गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम-23 के अनुसार उक्त आदेशों को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
03. निदेशक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
04. सम्बन्धित क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र. को इस आशय प्रेषित कि उक्त आदेश सर्वसम्बन्धित को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
05. सम्बन्धित उप चीनी आयुक्त।
06. सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे क्रय केन्द्रों के चलने की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त को चीनी मिल चलने के **15 दिन** के अन्तर्गत अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायें।
07. सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे क्रय केन्द्रों के चलने की स्थिति पर स्वयं भी निगरानी रखेंगे तथा यथा निर्दिष्ट समय के अन्तर्गत क्रय केन्द्रों के न चलाये जाने पर चीनी मिल के विरुद्ध समुचित कार्यवाही कराते हुए, अनुपालन की स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।
08. सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियां।
09. अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, **उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि., इकाई-पिपराइच, जनपद गोरखपुर, परिक्षेत्र गोरखपुर** एवं अन्य सम्बन्धित चीनी मिलें।
10. श्री वरुण राय, कनिष्ठ सहायक, प्रभारी आई.टी., मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(विश्वेश कनौजिया)

संयुक्त गन्ना आयुक्त (क्रय)

कृते गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या 130/सी/क्रय/सुरक्षण/2018-19 दिनांक 16.11.2018 (संलग्नक पृष्ठ संख्या-01)
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि., इकाई- पिपराइच, जनपद-गोरखपुर (परिक्षेत्र- गोरखपुर)

खण्ड-2

क्र. सं.	नाम गन्ना समिति	नाम क्रय केन्द्र	क्रय केन्द्र की दूरी (कि.मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे.)	गन्ना उत्पादन (ला.कु.)	सुरक्षित/अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पिपराइच	पिपराइच गेट	9	55	0.36	अभ्यर्पित	चीनी मिल कप्तानगंज को
2	पिपराइच	जगदीशपुर	4	233	1.52	अभ्यर्पित	चीनी मिल कप्तानगंज को
3	पिपराइच	जगदीशपुर लेहनी	7	169	1.10	अभ्यर्पित	चीनी मिल कप्तानगंज को
4	पिपराइच	रतनपुर	7	48	0.31	अभ्यर्पित	चीनी मिल ढाढाबुजुर्ग को
5	पिपराइच	मुड़िला	7	72	0.47	अभ्यर्पित	चीनी मिल ढाढाबुजुर्ग को
6	पिपराइच	टीकर	7	291	1.89	अभ्यर्पित	चीनी मिल ढाढाबुजुर्ग को
7	पिपराइच	बैलो	9	112	0.73	अभ्यर्पित	चीनी मिल ढाढाबुजुर्ग को
8	पिपराइच	मगडीहा	1	169	1.10	अभ्यर्पित	चीनी मिल ढाढाबुजुर्ग को
9	सरदारनगर	बेला	7	277	1.80	अभ्यर्पित	चीनी मिल ढाढाबुजुर्ग को
10	पिपराइच	बरगदही	10	40	0.26	अभ्यर्पित	चीनी मिल कप्तानगंज को
11	सरदारनगर	सरदारनगर मिलगेट	22	773	5.03	अभ्यर्पित	चीनी मिल ढाढाबुजुर्ग को
कुल योग-				2239	14.57	-	-